संख्या: 01/2019/04/12-2-2019-60(6)/2017 टी0सी0

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 04 जनवरी, 2019

विषय: फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत नान एन0पी0ए0, एन0पी0ए0 तथा शिकायत संबंधी प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 49/2018/3782/12-2-2018-60(6)/2017 टी0सी0 दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कर एवं निबंधन अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या: 824बी/क0नि0-6-2018-20(बी) 15/2017 दिनांक 13 जुलाई, 2018 के प्रस्तर-8 के क्रम में कतिपय रोड-मैप के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर जो भी कृषक योजना के लाभ से वंचित रह गये हैं, उनकी शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु निम्नानुसार व्यवस्था तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित की जाय:-

(1) योजना में अवशेष प्रकरणों के निस्तारण हेतु दिनांक 07 जनवरी, 2019 से दिनांक 21 जनवरी, 2019 तक जनपदों के डी0एल0सी0 स्तर पर कृषकों की शिकायतों को प्राप्त कर अपलोड किए जाने हेतु हेल्प-डेस्क का विण्डो खोल दिया जाय और इस अवधि में प्राप्त शिकायतों का सत्यापन बैंक तथा राजस्व विभाग के माध्यम से कराते हुए जिला स्तरीय समिति के निर्णय के आधार पर अर्ह कृषकों को प्राथमिकता पर भुगतान सुनिश्चित कराया जाय।

(2) पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 द्वारा योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों में योजना के प्राविधानों के अनुसार अर्ह पाये गये कृषकों की डिमाण्ड जनपद स्तर पर प्रत्येक माह की 01 से 03 तारीख तक डिमाण्ड जनरेट करने के दिये गये निर्देश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए उक्त के स्थान पर अब योजना के अन्तर्गत अर्ह पाये गये कृषकों की डिमाण्ड प्रत्येक माह की 01 से 03 तारीख तथा 16 से 18 तारीख तक (दो बार)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जनरेट करते हुए अर्ह कृषकों को उनकी देयता का भुगतान नियमानुसार सुनिश्चित कराया जाय।

3. तदनुसार शासनादेश संख्या:49/3782/12-2-2018-60(6)/2017 दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 01/2019/04/12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त विभाग एवं कर निबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिदेशक, संस्थागत वित्त, 16, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
4. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया योजना के पोर्टल पर उक्त संशोधित व्यवस्था के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बडौदा हाऊस, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. समस्त नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।